न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 275/2018

1. कमलादेवी पुत्री श्री गोरधन राम पत्नी श्री अरविन्द कुमार जाति मेघवाल निवासी 14 एफ सैकिण्ड मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

1. अन्नीदेवी पत्नी री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी 14 एफ सैकिण्ड ढ़ाणी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीया

2. साहबराम पुत्र श्री हरीराम जाति मेघवाल निवासी 14 एफ सैकिण्ड मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. पृथ्वीराज पुत्र श्री हरीराम जाति मेघवाल निवासी 14 एफ सैकिण्ड मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – सहखातेदार औपचारिक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 05.06.2018

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 72 के मुरब्बा नम्बर 9, 11 व 20 की 10.160 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.988 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के नाम से दर्ज कागजात माल है।

प्रार्थीया को घरू बंटवारानामा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 3 ता 8 (सालम), 13 (आधा), 14, 15, 16, 17, 24, व 25 (सालम) में भूमि प्राप्त हुई है मगर प्रार्थीया को उक्त रक्बा में जानें के लिये कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

प्रार्थीया को अपनें रकबा में जानें व कृषि कार्य हेतु रास्ता की आत्यांतिक आवश्यक्ता है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 अन्नीदेवी नें घरू समझौता के आधार पर अपनें हिस्सा की भूमि मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14 में से 0.013 हैक्टर, किला नम्बर 17 में 0.025 हैक्टर व किला नम्बर 24 में 0.025 हैक्टर रकबा बतौर रास्ता छोड़ा हुआ है जो कि किला नम्बर 14, 17, व 24 की पूर्वी दिशा में अर्सा दराज से कदीमी रास्ता के तौर पर चला आ रहा है।

प्रार्थीया मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14 के चिपती हुई पक्की सड़क से होते हुए उक्त पुरानें प्रचलित रास्ता किला नम्बर 14, 17, व 24 से होते हुए अपनें खेत में व किला नम्बर 5 में बनी डिग्गी पर पहुँचती है इसलिये प्रार्थीया उक्त पुरानें प्रचलित रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अमल दरामद करवाना चाहती है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को रास्ता की एवज में क्षतिपूर्ति राशि नगद अदा की जा चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहमती पत्र बाबत रास्ता लिखकर प्रार्थीया को दिया हुआ है जिसकी चित्र प्रतिलिपि संलन प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीया द्वारा केवल कृषि की सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता की मांग नहीं की जा रही है बल्कि प्रार्थीया को अपनें रकबा में आनें जानें व कृषि कार्य हेतु रास्ता की आत्यांजिक आवश्यक्ता है तथा यही रास्ता प्रार्थीया के रकबा में आनें जानें के लिये सबसे छोटा रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

प्रार्थीया नें अप्रार्थीया से इस रास्ता को स्वीकृत करवानें के लिये कई बार कहा गया है मगर पहले तो वह टाल मटोल करती रही परन्तु अब दिनांक 10.05.2018 को सहमती से रास्ता देनें में साफ इन्कार कर दिया गया है इसलिये प्रार्थीया यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगागनर के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14/.013, 17/.025, व 24/.025 हैक्टर रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन करवाया जावे एवम् उक्त रास्ता के रकबा की कटौती अप्रार्थीया संख्या 1 अन्नीदेवी के हिस्सा से की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थीया के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है, इसी मुरब्बा के किला नम्बर 6, 14, 18 से सड़क गुजरती है व मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14, 17, 24 प्रत्येक में $16\frac{1}{2}$ फुट का रास्ता चालु है, प्रार्थीया नें अन्नीदेवी द्वारा लिखवाया गया सहमती पत्र पेश किया है जिसमें अन्नीदेवी द्वारा किला नम्बर 14/2, 17, 24 की प्रत्येक में 2 बिस्वा के रास्ता देनें की एवज में 1, 20,000 रूपया ले लिया गया है अन्नीदेवी व कमलादेवी का सहमती पत्र साथ में संलग्न है।

दिनांक 05.06.2018 को प्रार्थीया कमलादेवी व अप्रार्थी संख्या 1 अन्नीदेवी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो मजमे आम में पढ़ का सुनाये जानें पर प्रार्थीया व अप्रार्थीया द्वारा राजीनामा पर अंगुठा निशान लगाये गये प्रार्थीया की पहवान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा अप्रार्थीया की पहचान श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा में कथन किया गया कि प्रार्थीया कमलादेवी को अप्रार्थीया नें सहमती से रास्ता दे दिया है अब उक्त रास्ता मौके पर चालु है इसलिये प्रार्थना पत्र के अनुसार रास्त स्वीकृत कर दिया जावे तो रास्ता का रकबा द्वितीय पक्ष अन्नीदेवी के हिस्सा में से कम कर दिया जावे।

राजस्व लोक अदालत के दौरान प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपनें राजीनामा को दौहराते हुए रास्ता स्वीकृत करनें हेतु निवेदन किये जानें पर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि मुताबिक रिपोर्ट रास्ता

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

मौके पर चालु है चाहे गये रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर काबिज है जो रास्ता देनें हेतु सहमत होनें से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगागनर के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14 में .013, 17 में .025, व 24 मे .025 कुल 0.063 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता किला नम्बर 15, 16, 25 के चिपता हुआ स्वीकृत किया जाता है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 अन्नीदेवी के हिस्सा की कुल भूमि 2.164 हैक्टर में से 0.063 हैक्टर रकबा कम किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मटीली राठान में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर